

न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

राजस्थान सरकार

जरिये पटवार हल्का रापरवाड़ा

मुकदमा नं. 20/2017

बहक

श्री समसुदीन

पुत्र श्री करीमखां

जाति लोहार नि. निम्बोला

राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 07/09/17

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम निम्बोला खसरा नम्बर 472 रकबा 0.0600 हैक्टर किरम सिवायक (राजकीय भूमि) पर सवत 2074 में श्री समसुदीन पुत्र श्री करीमखां जाति लोहार निवासी निम्बोला (जिसे आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा बाड़ा बनाकर कब्जा कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का अर्न्तगत अप्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू.-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अर्न्तगत नोटिश जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी

उपस्थित अप्रार्थी की तरफ से जवाब पेश हुआ जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम निम्बोला ख.न. 472 रकबा 0.0600 किरम सिवायक पर सवत 2074 में बिना विधिक अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर बाड़ा बनाकर कब्जा कर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते हैं कि :-

(1) अतिक्रमी को आरजी राज से बेदखल किया जाकर कब्जा बहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया 3/- प्रति हे० का 50 गुणा रूपया 1.50 रु.

(रूपये एक रूपया जुमना) शास्ति कायम की जाती है।

निर्णय की कियान्विती हेतु पटवारी हल्का रापरवाड़ा भु. अभिलेख निरीक्षक रिड एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/09/17 का सरे इजलास सुनाया।

नायब तहसीलदार भकरी मौलास
नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)